अनुसूची 14– फारम सं. 562

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख..तक

जिला.............मधुबनी ..संख्या.– 10/14–15

केश का प्रकार : बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–09 के अंतर्गत जमाबंदी रद्दीकरण

अर्जीकार:– भोला राउत

प्रतिपक्षी:–जयशंकर राउत

आदेष का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।
6.5.17	प्रस्तुत वाद आवेदक भोला राउत पे. बुचाई राउत ग्राम–करहारा पोस्ट–चुन्नी थाना–भेजा जिला मधुबनी के आवेदन पर प्रारम्भ की गयी। आवेदक ने अपने आवेदन में प्रतिपक्षी जयशंकर राउत के नाम गलत ढ़ंग से कायम जमाबंदी संख्या–1867 को रद्द करने का अनुरोध किया। उभय पक्षों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचना दी गयी। आवेदक की ओर से भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या–1/13–14 भोला राउत वो सूरज नारायण राउत–बनाम–जयशंकर राउत, साकिन– करहारा में अंचल अधिकारी, मधेपुर द्वारा पारित आदेश की छाया प्रति साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया **जिसमें अंचल अधिकारी ने लिखा है कि प्रश्नगत खेसरा संख्या–320 पुराना नया 371 एवं 372 पर भोला राउत का शांतिपूर्ण दखल कब्जा बरकरार है। चूँकि यह पूर्णतः रैयती मामला है, वादी–प्रतिवादी को सक्षम न्यायालय के शरण में जाना चाहिए,** वाद की कार्यवाही समाप्त की गयी। प्रतिपक्षी जयशंकर राउत इस न्यायालय में वकालतन पैरवी दाखिल किये। आवेदक के रूप में भोला राउत एवं सुरज नारायण राउत उर्फ सुरज चौरासिया भी वकालतन पैरवी दाखिल किये। सुरज नारायण राउत उर्फ सूरज चौरासिया ने अन्तःक्षेपक के रूप में भी आवेदन देते हुये पक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त किया। दोनों पक्षों की ओर से अपना अपना पक्ष रखा गया। अंचल अधिकारी, मधेपुर, दोनों पक्षों के जवाब पर स्पष्ट मंतव्य प्राप्त किया गया जो उनके पत्रांक–1092 दिनांक–13.10.2015 से प्राप्त है। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रश्नगत भूमि खेसरा–320 का कैडेस्ट्रल खतियान एवं रिविजनल सर्वे खतियान का विवरण दिया है जिससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि रैयती है। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन के अंत में लिखा है कि प्रतिपक्षी जयशंकर राउत द्वारा तत्कालिक प्रस्तुत साक्ष्य वो दावा सत्य वो तथ्य से परे प्रतीत होता है। खेसरा 320 के श्रृजित रकवा 0.14 धूर पर न्यायोचित/विधि संगत कार्रवाई पश्चात् जमाबंदी रद्दीकरण की दिशा में उचित कार्रवाई की अनुशंसा की गयी। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सूना एवं वाद को आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया। उभय पक्षों की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:– 1– आवेदक भोला राउत वो अन्तक्षेपक सूरज नारायण राउत की ओर से प्रस्तुत लिखित अभिकथन का मुख्य बिन्दु है कि मौजा– करहारा के खाता नं. 112(क) खेसरा नम्बर 320 रकवा 1 कट्ठा 7 धूर साथ अन्य जमीन **कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान झींगुर राउत वो राम लाल राउत पेसरान तुलसी राउत साकिन– करहारा के नाम से दर्ज है** लेकिन कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान के कैफियत खाना में दखल कब्जा झींगुर राउत का दर्ज है इसलिए खेसरा नं. 320 झींगुर राउत का हुआ जिसके खतियानी रैयत झींगुर राउत हुये उसी खतियानी रैयत के बंशज से भूमि हस्तान्तरित हुआ जिसके नाम से रिविजनल सर्वे खतियान बना। रिविजनल सर्वे खतियानधारी से आवेदक ने निबंधित केवाला के माध्यम से जमीन क्रय किया। किन्तु विपक्षी जयशंकर राउत खेसरा	CHA 79/R 16517

(10)

नं. 320 पर नाजायज तरीके से जमाबंदी नं. 1867 कायम करवाकर मालगुजारी रसीद हल्का कर्मचारी को मेल वो प्रभाव में लाकर करवा लिया तथा अपने को उक्त भूमि का खरिददार बताते चलता है एवं गलत दावा करने लगा जिसका मुकदमा अनुमण्डल दण्डाधिकारी के न्यायालय में चला, भूमि सुधार उप समाहर्ता, के न्यायालय एवं अंचल अधिकारी मधेपुर के न्यायालय में चला। रिविजनल सर्वे खतियान से दखल कब्जा साबित होता है बुचाई राउत का और उसी बुचाई राउत का। इसलिए विपक्षी के नाम खेसरा नं. 320 रकवा 1 कट्ठा 7 धूर में से 14 धूर का जमाबंदी 1867 नाजायज कायम हुआ जो निरस्त होने योग्य है। विपक्षी का कोई आधार नहीं है।

विपक्षी की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस का मुख्य अंश है कि दखल कब्जा के आधार पर अंचल कार्यालय मधेपुर के दाखिल खारिज वाद संख्या–286/05–06 दायर किया वो गहन जॉच पड़ताल के बाद जमाबंदी नं. 1867 विपक्षी के नाम कायम किया गया जो सही है अतः आवेदक के आवेदन को खारिज किया जाय।

आवेदक का आवेदन, अंतःक्षेपक का आवेदन, विपक्षी का प्रत्युत्तर, अंचल अधिकारी मधेपुर का जॉच प्रतिवेदन, उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत लिखित अभिकथन का अवलोकन एवं परिसिलन किया। उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत कथन से स्पष्ट है कि यह पूर्णतः रैयती भूमि का विवाद है जो स्वत्व निर्धारण से संबंधित है। अंचल अधिकारी ने अपने न्यायालय के वाद संख्या–1/13–14 जो आवेदक की ओर से साक्ष्य के रूप प्रस्तुत की गयी है में लिखा गया है कि प्रश्नगत खेसरा संख्या– 320 पुराना नया 371 एवं 372 पर भोला राउत का शांतिपूर्ण दखल कब्जा बरकरार है। चूँकि यह पूर्णतः रैयती मामला है, वादी–प्रतिवादी को सक्षम न्यायालय के शरण में जाना चाहिए। पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत लिखित अभिकथन में कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान पर भी विवाद है। अतः ऐसे मामलों में वादी–प्रतिवादी को स्वत्व निर्धारण हेतु माननीय सिविल न्यायालय का ही शरण लेना उचित होगा। ऐसे जटिल स्वत्व मामलों के निराकरण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर है। अतः वाद की कार्रवाई को समाप्त की जाती है।

आदेश से, विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते हैं। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, मधेपुर को भी दें।

लेखापित

6.5.17
अपर समाहर्ता, मधुबनी।

6.5.17
अपर समाहर्ता, मधुबनी।